पत्रांक–1 / प्रा0आ0–0–3–55 / 2011........3918........ / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 28/10/14

विषयः **जिलान्तर्गत प्रभावितों को प्राकृतिक आपदा /गैर प्राकृतिक आपदा /वज्रपात से हुई मृत्यु के फलस्वरूप देय अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान कर विभाग तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अवगत कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 06.12.2014 को पूरे राज्य में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

सदस्य-सचिव, बिहार राज्य विधिक प्राधिकार द्वारा सूचित किया गया है कि प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा/वज्रपात से प्रभावित लोगों को मृत्यु एवं अनुग्रह अनुदान एवं अन्य प्रभावित परिवारों को देय अनुदान के सभी मामलों का निष्पादन कर दिया जाय तथा राशि का भुगतान कर दिया जाय।

दिनांक 02.10.14 से 06.12.14 तक दिये गए अनुदान की राशि एवं प्रभावित परिवारों /व्यक्तियों की संख्या की सूचना अपने जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी जाय ताकि दिनांक 06.12.14 को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत की उपलब्धि में समावेशित किया जा सके।

कृपया इसकी सूचना एवं सूची विभाग को भी दी जाय।

विश्वासभाजन

28/10/14

(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

E:\All Report\Budget 2014 letter\Anirudh Sir 28.10.14 doc 2.doc